



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) BETWEEN

THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL
OF

THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE OFFICE OF THE AUDITOR GENRAL OF NEPAL

ON

COOPERATION IN THE FIELD OF PUBLIC SECTOR AUDIT

The Comptroller and Auditor General of the Republic of India (C&AG, India) as the Supreme Audit Institution (SAI) of India and the Office of the Auditor General of Nepal as the Supreme Audit Institution (SAI) of Nepal, (hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties").

DESIRING to strengthen the existing friendly relations and bilateral co-operation aimed at improvement of work methodologies and exchange of information in the field of public sector audit between the Parties;

RECOGNIZING that there are benefits in working together in areas of mutual interest, the two Parties, hereby agree to further extend their mutual cooperation and any cooperative activities under this MoU shall be conducted by the Parties in accordance with their respective laws and policies.

Have reached the following understandings:

ARTICLE-I

GENERAL PRINCIPLE

The Parties shall undertake cooperative activities under this MoU in conformity with their national laws, rules, regulations and national and international obligations.

ARTICLE-II OBJECTIVE

The objective of this MoU is to promote and develop cooperation between the Parties in order to strengthen respective institution's professional capacity and improve methodologies in the field of audit of public finance.

ARTICLE-III AREAS AND FORMS OF COOPERATION

- 1. Areas of cooperation of the Parties shall include the following:
 - a. Conduct training at the Office of the Auditor General of Nepal or the office of the Comptroller and Auditor General of India on a need basis;
 - Carry out other capacity development programs as desired by the Parties; b.
 - Explore other areas of cooperation as mutually agreed upon by the Parties. c.

1

- 2. Forms of cooperation of the Parties shall include the following:
 - a. Conduct training in Nepal or in India on a topic requested by SAI Nepal on a need basis;
 - b. Invite each other's representatives to participate in selected conferences, seminars, internships and other training activities of international character;
 - c. Arrange exchange of visits or programs for strengthening institutional relationship; and
 - d. Share experiences and best practices in the field of public sector auditing.

ARTICLE-IV FINANCIAL ARRANGEMENTS

This MoU shall not give rise to any financial obligations by one Party to the other. Each Party shall bear its own cost and expenses in relation to this MoU. However, the Parties may agree on specific financial arrangements with regard to the individual areas of cooperation.

ARTICLE-V VALIDITY

This MoU shall be valid for a period of six (06) years and shall be renewed automatically for another successive periods of six (06) years at a time, unless one of the Parties informs the other in writing of its decision to terminate it.

ARTICLE-VI TERMINATION

This MoU may be terminated by either Party, at any time, by giving three (03) months advance written notice. Termination shall not affect the validity of any specific activities or projects under this MoU.

<u>ARTICLE-VII</u> AMENDMENT

This MoU may be amended at any time by mutual written consent of the Parties and it shall form an integral part of this MoU.



ARTICLE-VIII DISPUTE SETTLEMENT

Any dispute(s) or differences between the Parties arising out of the interpretation or implementation of this MoU shall be resolved amicably through mutual and friendly consultations between the Parties and based on the principles of mutual understanding and respect.

ARTICLE-IX CONFIDENTIALITY

Each Party shall ensure the confidentiality of documents, information and other data received from or provided to the other Party during the implementation of this MoU.

The Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties even after the termination of this MoU.

ARTICLE-X COMMENCEMENT

This MoU shall come into force from the date of its signature thereof by the Parties.

The foregoing represents the understanding reached between the Parties on the matter referred to in this MoU and does not create any legally binding obligations upon the Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments have signed this MoU.

Signed at Kathmandu, Nepal on 2nd May of the year 2024 in two original copies each in the Nepali, Hindi and English language all texts being equally valid. In case of any divergence in interpretation of this Memorandum, the English text will prevail.

On behalf of the office of the Auditor-General, Nepal.

Name: Mr. Toyam Raya

Designation: Auditor-General, Nepal.

On behalf of the office of the Comptroller and Auditor-General, India.

Junta

Name: Mr. Girish Chandra Murmu Designation:Comptroller and Auditor-General, India





गणतन्त्र भारतका नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, नेपाल

बीच

सार्वजनिक क्षेत्रको लेखापरीक्षणमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको

समझदारी पत्र

गणतन्त्र भारतका नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारतको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था (SAI) का रूपमा तथा नेपालका महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था (SAI) का रूपमा (यसपछि व्यक्तिगत रूपमा "पक्ष" र सामूहिक रूपमा "पक्षहरू") भनिने छ ।

पक्षहरू बीच सार्वजनिक क्षेत्रका लेखापरीक्षण कार्य पद्धतिमा सुधार तथा सूचना आदानप्रदान गरी विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा द्विपक्षीय सहयोगलाई मजबुत गर्ने अभिप्रायले,

आपसी हितका क्षेत्रमा एकसाथ काम गर्न स्वीकार गर्दे दुवै पक्ष आपसी सहयोगलाई अघि बढाउनका लागि सहमत छन् तथा यस समझदारीपत्रका सहयोग सम्बन्धी गतिविधिहरु आफ्नो कानून तथा नीति अनुसार कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

दुवे पक्ष निम्न लिखित सम्झौता गर्न सहमत छन्ः

<u>दफा-१</u> सामान्य सिद्धान्त

दुवै पक्षहरू यस समझदारीपत्रको अधीनमा रही आ-आफ्नो देशको ऐन, नियम, विनियम तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अनुरुप सहयोग सम्बन्धी गतिविधिहरू गर्नेछन् ।

<u>दफा-२</u> उद्देश्य

सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाको क्षमतालाई सुदृढ गर्ने र सार्वजनिक वित्तको लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा कार्य प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि पक्षहरूबीच हुने सहयोगलाई वृद्धि तथा विकास गर्ने यस समझदारीपत्रको उद्देश्य रहेको छ ।

<u>दफा-३</u> सहयोगको क्षेत्र एवं स्वरुप

- १) पक्षहरूको सहयोगको क्षेत्र देहाय बमोजिमको हुनेः
 - (क) नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालय वा भारतको नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

Ly

٩

- (ख) पक्षहरूको आपसी सहमतिमा क्षमता विकासका अन्य कार्यक्रमहरु गर्ने,र
- (ग) पक्षहरूद्वारा आपसी सहमतिमा सहयोगका अन्य क्षेत्रहरू खोजी गर्ने ।
- २) पक्षहरूकी सहयोगको स्वरूप देहायबमोजिम रहनेः
 - (क) आवश्यकताका आधारमा नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाद्वारा अनुरोध गरेको विषयमा नेपाल वा भारतमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
 - (ख) अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपका सम्मेलन, सेमिनार, इन्टर्निसप तथा तालिमका गतिविधिहरूमा भाग लिनका लागि एक अर्काका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रित गर्ने,
 - (ग) संस्थागत सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न भ्रमण तथा कार्यक्रमहरूको आदानप्रदान गर्नु, तथा
 - (घ) सार्वजनिक क्षेत्रको लेखापरीक्षणका क्षेत्रमा अनुभव एवं उत्कृष्ट अभ्यासको आदान प्रदान गर्ने ।

<u>दफा-४</u>

वित्तीय व्यवस्था

यस समझदारीपत्र अनुसार एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने छैन। प्रत्येक पक्षले यस समझदारी पत्रसँग सम्बन्धित लागत तथा खर्च व्यहोर्ने छ। तर पक्षहरु कुनै पक्षको व्यक्तिगत सहयोगको कुनै क्षेत्रमा विशिष्ट वित्तीय व्यवस्था गर्न सहमती जनाउन सक्नेछन् ।

<u>दफा-५</u> वैधता

यो समझदारी पत्र छ (६) वर्षको लागि मान्य हुनेछ र कुनै एउटा पक्षले यस समझदारी पत्रलाई समाप्त गर्ने निर्णय गरी सोको जानकारी अर्को पक्षलाई दिएको अवस्थामा बाहेक ६ वर्षपछि स्वतः अर्को ६ वर्ष अविधको लागि एकपटक नवीकरण हुनेछ ।

7

दफा-६

समाप्ति

यस समझदारीपत्रलाई कुनै पिन समय कुनै पक्षले तीन महिनाको अग्रिम लिखित सूचना दिई समाप्त गर्न सक्नेछ। यसको समाप्तिले समझदारीपत्र बमोजिम भइसकेको कुनै गतिविधि तथा आयोजनाको वैधतामा असर गर्ने छैन।

दफा-७ संशोधन

यस समझदारीपत्रमा पक्षहरूको आपसी लिखित सहमतिमा कुनै पनि समय संशोधन गर्न सिकनेछ, तथा संशोधन गरिएको विषय यस समझदारीपत्रको एक अभिन्न भाग हुनेछ ।

दफा-८ विवाद समाधान

यस समझदारीपत्रको व्याख्या वा कार्यान्वयनमा पक्षहरू बीच उत्पन्न हुने कुनै विवाद वा मतभेदलाई दुवै पक्षको आपसी तथा मैत्रीपूर्ण परामर्शद्वारा आपसी समझदारी तथा सम्मानका सिद्धान्त वमोजिम सौहार्दपूर्ण रूपले समाधान गर्नु पर्नेछ।

दफा-९ गोपनियता

प्रत्येक पक्ष यस समझदारीपत्रको कार्यान्वयनका ऋममा अर्को पक्षबाट प्राप्त वा प्रदान गरिएको कुनै कागजात, सूचना तथा अन्य तथ्यको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नेछन्। दुवै पक्षहरु यस समझदारीपत्रको समाप्ति पछि समेत यस दफाको व्यवस्था बाध्यकारी हुने कुरामा सहमत छन्।

दफा-१०

प्रारम्भ

यो समझदारी पत्र पक्षहरुद्वारा यसमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट लागु हुनेछ।

माथि उल्लेख गरिएको विषयमा पक्षहरूबीच सम्झौताको प्रतिनिधित्व गर्ने पक्षलाई कुनै बाध्यकारी कानूनी अनुबन्ध रहने छैन ।

यसको साक्षीको रूपमा, तल हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिले आफ्ना आफ्ना सरकारद्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त गरी यस समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं।

मिति २०८१।०१।२० मा काठमाडौँ, नेपालमा नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजीमा दुई दुई सक्कल प्रति समझदारी पत्र सबै समानरुपमा मान्य हुने गरी हस्ताक्षर गरिएको छ।

यस समझदारी पत्रको व्याख्यामा कुनै मतभिन्नता भएमा अंग्रेजी प्रति मान्य हुनेछ।

नेपालका महालेखापरीक्षक कार्यालयको तर्फबाट

नामः श्री तोयम राया

पदः नेपालका महालेखापरीक्षक

भारतका नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालयको तर्फबाट

Jers Jax

नामः श्री गिरीशं चंन्द्र मुर्मू पदः गणतन्त्र भारतका नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक





समझौता ज्ञापन (एमओयू) सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और नेपाल के महालेखापरीक्षक के मध्य

भारत गणराज्य के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी, भारत) भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) के रूप में और नेपाल के महालेखापरीक्षक के कार्यालय को नेपाल के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) के रूप में संदर्भित किया गया है, इसके बाद व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" और सामूहिक रूप से "पक्षों" के रूप में संदर्भित किया गया है।

पक्षों के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में कार्य पद्धतियों में सुधार और सूचना के आदान-प्रदान के उद्देश्य से मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की इच्छा से;

यह स्वीकार करते हुए कि आपसी हित के क्षेत्रों में एक साथ काम करने में लाभ हैं, दोनों पक्ष अपने आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हैं और इस समझौता ज्ञापन के तहत किसी भी सहयोग संबंधी गतिविधियों को पक्षों द्वारा उनके संबंधित कानूनों और नीतियों के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।

निम्नलिखित समझौते तक पहुंचे हैं:

अनुच्छेद ।

सामान्य सिद्धांत

दोनों पक्ष अपने राष्ट्रीय कानूनों, नियमों, विनियमों, राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग संबंधी गतिविधियाँ निष्पादित करेंगे।

<u>अनुच्छेद ॥</u>

उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य संबंधित संस्थान की पेशेवर क्षमता को मजबूत करने और सार्वजनिक वित्त की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए पक्षों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना और विकसित करना है।

<u>अनुच्छेद III</u> सहयोग के क्षेत्र और रूप

१. पक्षों के सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल होंगे:



- क. आवश्यकता के आधार पर नेपाल के महालेखापरीक्षक के कार्यालय या भारत में प्रशिक्षण आयोजित करनाः
- ं ख. पक्षों द्वारा वांछित अन्य क्षमता विकास कार्यक्रम; और
 - ग. पक्षों द्वारा आपसी सहमति से सहयोग का कोई अन्य क्षेत्र।
- २. पक्षों के सहयोग के रूप में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगाः
 - क.आवश्यकता के आधार पर साई नेपाल द्वारा अनुरोध किए गए विषय पर नेपाल या भारत में प्रशिक्षण आयोजित करना;
 - ख. अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के चयनित सम्मेलनों, सेमिनारों, प्रशिक्षता और अन्य प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक दूसरे के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना;
 - ग. संस्थागत संबंधों को मजबूत करने के लिए दौरों या कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करनाः तथा
 - घ. सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना

अनुच्छेद IV

वित्तीय व्यवस्थाएं

इस समझौता ज्ञापन में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के किसी भी वित्तीय दायित्व को र नहीं उठाया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के संबंध में प्रत्येक पक्ष अपनी लागत और व्यय वहन करेगा। हालांकि, पक्ष सहयोग के व्यक्तिगत क्षेत्रों के संबंध में विशिष्ट वित्तीय व्यवस्थाओं पर सहमत हो सकते हैं।

<u>अनुच्छेद V</u>

वैधता

यह समझौता ज्ञापन छह (०६) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा और इसे एक बार में छह (०६) वर्षों की एक और लगातार अवधि के लिए स्वचालित रूप से नवीनीकृत किया जाएगा, जब तक कि दोनों में से कोई एक पक्ष इसे समाप्त करने के अपने निर्णय को लिखित रूप में दूसरे को सूचित नहीं करता है।



<u>अनुच्छेद VI</u>

समाप्ति

इसं समझौता ज्ञापन को किसी भी समय ३ महीने की अग्रिम लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। समाप्ति इस समझौता ज्ञापन के तहत किसी भी विशिष्ट गतिविधियों या परियोजनाओं की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।

<u>अनुच्छेद VII</u>

संशोधन

इस समझौता ज्ञापन में पक्षों की आपसी लिखित सहमित से किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है और यह इस समझौता ज्ञापन का एक अभिन्न अंग होगा।

<u>अनुच्छेद VIII</u>

विवाद निपटान

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन से पक्षों के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेदों को दोनों पक्षों के मध्य आपसी और मैत्रीपूर्ण परामर्श के माध्यम से और आपसी समझ और सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा।

<u>अनुच्छेद IX</u>

गोपनीयता

प्रत्येक पक्ष इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के दौरान दूसरे पक्ष से प्राप्त या प्रदान किए गए दस्तावेजों, सूचना और अन्य डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बाद भी दोनों पक्षों के बीच इस अनुच्छेद के प्रावधान बाध्यकारी रहेंगे।

<u>अनुच्छेद X</u>

आरंभ

यह समझौता ज्ञापन पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से लागू होगा।



पूर्वगामी इस समझौता ज्ञापन में उल्लिखित मामले पर पक्षों के मध्य हुए समझौते का प्रतिनिधित्व करता है और पक्षों पर कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व नहीं बनाता है।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्ष २०२४ मई २ मे नेपालके काठमाडौंमे अंग्रेजी भाषा में दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षरित।

महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नेपाल की ओर से

नामः श्री तोयम राया

पदनामः नेपालके महालेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की ओर से

Hers.

नामः श्री गिरीश चंन्द्र मुर्मू पदनामः भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक